



प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-7

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प चूरु.....

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लोहसना बड़ा व भूअ.नि. सिरसवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बास टाकान तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 101 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बास टाकान	101	मोहनराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा-पूर्ण जाति मैदान किरासी बास टाकान रक्षित (पूर्ण खाता) BRKGB, आखा लोहसना बड़ा	मोहनलाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा-पूर्ण जाति मैदान निवासी बास टाकान राहिंग (पूर्ण खाता) BRKGB, आखा लोहसना बड़ा

14/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 115/2021

दिनांक :- 14-10-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र सोहनलाल निवासी बास टाकान को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

नॉट सॉ 633  
14-10-2021

14/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)